

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी
तहसीलदार, नीमकाथाना बनाम

मुकाम नीमकाथाना

गै.मु.रास्ता (खुड़ालिया)

(खुड़ालिया-राणासर रोड़ से ग्राम आगवाड़ी की सीमा तक)

किस्म मुकदमा :- गै0मु0 रास्ता धारा 131 व 132

मु0नं0 269 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/456

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील
में जारी हुए

ख

06-2025

पत्रावली तहसीलदार, नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ./2025/966 दिनांक 09.06.2025 द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 में गैर मुमकिन रास्ता प्रस्ताव प्राप्त होने पर पेशी हुयी। पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार नीमकाथाना ने बताया कि उक्त प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं है। तहसीलदार, नीमकाथाना को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज-6/2003/ पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 की पालना में तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने बाबत राजस्व ग्राम खुड़ालिया पटवार मण्डल सिरोही तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 627 रकबा 0.18 हैक्ट किस्म बारानी-3 मे से 0.0220 हैक्ट., खसरा नम्बर 646 रकबा 3.05 हैक्ट. किस्म चाही-3 मे से 0.0530 हैक्ट., खसरा नम्बर 626 रकबा 0.24 हैक्ट. किस्म चाही-3 मे से 0.0030 हैक्ट., खसरा नम्बर 648 रकबा 1.41 हैक्ट. किस्म चाही-3 मे से 0.0550 हैक्ट., खसरा नम्बर 628 रकबा 2.02 हैक्ट. किस्म चाही-2 मे से 0.0265 हैक्ट., खसरा नम्बर 643 रकबा 5.21 हैक्ट. किस्म चाही-3 मे से 0.0575 हैक्ट., खसरा नम्बर 651 रकबा 3.70 हैक्ट. किस्म चाही-3 मे से 0.0016 हैक्ट. खसरा नम्बर 649 रकबा 0.43 हैक्ट. किस्म बारानी-2 मे से 0.0175 हैक्ट., खसरा नम्बर 2712/598 रकबा 6.4760 हैक्ट. किस्म चाही-3 मे से 0.08 हैक्ट., खसरा नम्बर 611/2508 रकबा 1.40 हैक्ट. किस्म चाही-3 मे से 0.0150 हैक्ट., खसरा नम्बर 3047/681 रकबा 0.3461 हैक्ट. किस्म चाही-3 मे से 0.0090 हैक्ट., खसरा नम्बर 3080/3045 रकबा 0.8450 हैक्ट. किस्म चाही-3 मे से 0.0355 हैक्ट., खसरा नम्बर 677 रकबा 0.61 हैक्ट. किस्म चाही-3 मे से 0.0366 हैक्ट., खसरा नम्बर 674 रकबा 0.66 हैक्ट. किस्म चाही-3 मे से 0.0022 हैक्ट., खसरा नम्बर 678/1 रकबा 1.0830 हैक्ट. किस्म चाही-3 में से 0.0233 हैक्ट., खसरा नम्बर



678/2 रकबा 0.0270 हैक्ट. किस्म चाही-3 में से 0.0056 हैक्ट., खसरा नम्बर 722/2 रकबा 0.0130 हैक्ट. किस्म चाही-3 में से 0.0051 हैक्ट., खसरा नम्बर 722/1 रकबा 1.2270 हैक्ट. किस्म चाही-3 में से 0.0670 हैक्ट., खसरा नम्बर 721 रकबा 2.57 हैक्ट. किस्म चाही-3 में से 0.0740 हैक्ट., खसरा नम्बर 717 रकबा 1.41 हैक्ट. किस्म चाही-3 में से 0.0550 हैक्ट., खसरा नम्बर 733 रकबा 4.81 हैक्ट. किस्म चाही-3 में से 0.0290 एवं रकबा 0.1080 हैक्ट., खसरा नम्बर 3082/686 रकबा 7.4450 हैक्ट. किस्म चाही-3 में से 0.1210 हैक्ट., खसरा नम्बर 3046/681 रकबा 0.3508 हैक्ट. किस्म चाही-3 में से 0.0234 हैक्ट. कुल 05 मीटर चौड़ा गै.मु.रास्ता ग्राम खुड़ालिया-राणासर रोड़ से ग्राम आगवाड़ी की सीमा तक का प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना से मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस प्राप्त हुआ है। रास्ता मौके पर चालू है तथा डामर रोड़ एवं बारहमासी चलना बताया गया है। ग्राम पंचायत सिरोही का प्रस्ताव, अनापत्ति प्रमाण-पत्र, रास्ते के संलग्न जमाबन्दी, भू-नक्शा, गुगल नक्शा, फोटोग्राफ संलग्न है। प्रस्तावित प्रचलित रास्ता को बारहमासी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को गै0मु0रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित किया है। पत्रावली का अवलोकन व मौका निरीक्षण करने पर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता मौके पर डामर सड़क है तथा आवागमन हेतु चालू पाया गया। अतः जनहीत के आवागमन हेतु मौके पर चालू प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, व 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, नीमकाथाना के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार राजस्व अभिलेख में जरिए नामान्तरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शों में तरमीम की जावे। उक्त गै.मु.रास्ते का रकबा संबंधित खातेदारों की खातेदारी में ही रहेगा। तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न भाग रहेगा। तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, नीमकाथाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी